कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 999 /11–सी–FP/UP/Road/151936/2022, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 14 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0, सरयू वृत्त,
अयोध्या।

विषयः– अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 2.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–793/14–10, दिनांक 12.09.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में संलग्न किया गया एन0पी0वी0 की गणना त्रुटिपूर्ण है। अतः सही एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में भू–स्वामित्व विभाग (रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः भू–स्वामित्व विभाग (रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न किया गया मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।
4. हार्डकापी भाग–2 के क्रमाक–10(4) में CA की धनराशि गलत अंकित है। अतः सही धनराशि अंकित कर प्रस्ताव में संलग्न करें तथा Additional Information Detail से डिलिट कर संशोधित हार्डकापी भाग–2 यथास्थान तथा ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 में भी अपलोड करें।
5. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 999 /11–सी–FP/UP/Road/151936/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, गोण्डा एवं बस्ती।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या, गोण्डा एवं बस्ती।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1156